http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2026) वर्ष 6, अंक 2, 5-6

Article ID:557

बैम्बू स्टेकिंग एक तकनीक

जयपाल[1], दिनेश कुमार[2], गुरप्रीत सिंह[3]

[1]बागवानी विकास अधिकारी,
[2]भूमि परीक्षण अधिकारी,
[3]कृषि विकास अधिकारी

*अनुरूपी लेखक
जयपाल*

बैम्बू स्टेकिंग एक तकनीक है जिसमें बांस की से मदद तार और रस्सी का जाल बुना जाता है और इस जाल की सहायता से बेलवर्गीय सब्जियां जैसे घीया,करेला ,टमाटर, खीरा, तौरी आदि की खेती की जाती है । बैम्बू स्टेकिंग सब्जियों की खेती में एक ऐसा वरदान है, जिसे अपनाने से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से मुनाफा और फसल की पैदावार भी अधिक और उच्च गुणवता की होती है।

बैम्बू स्टेकिंग विधि के फायदे :

1. **कम जगह में ज्यादा फसल की पैदावार:** इस विधि की सहायता से प्रति एकड़ पैदावार 25-50% तक अधिक होती है। छोटे से क्षेत्र में भी अधिक सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं।
2. **अधिक आय:** अधिक पैदावार होने से अधिक आय प्राप्त होती है।

3. कम नुकसान: इस विधि की सहायता से पौधे जमीन से ऊपर रहने के कारण सब्जियाँ कीड़े और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से भी बचे रहते हैं।

4. बेहतर फसल और स्वास्थ्य: पौधों को ज्यादा धूप व बेहतर हवा मिलने से उच्च गुणवता के साथ-साथ उपज भी बढ़ती है।

5. आसान तुड़ाई : जब सब्जियाँ ऊपर लटकती हैं, तो उन्हें तोड़ना आसान होता है। इस प्रकार से अधिक पकने से खराब होने वाली सब्जियों को समय पर तोड़ा जा सकता है ।

6. सब्जी का बेहतर रंग: हवा मे होने के कारण सब्जी का रंग हर ओर से एक जैसा होता है जिस कारण सब्जी का मूल्य बाजार मे अधिक प्राप्त होता है।

7. अन्य कार्य आसान : अन्य खेती के कार्य जैसे स्प्रे करना, निराई गुड़ाई करना आदि कार्य करने मे भी आसानी होती है ।

बैम्बू स्टेकिंग हेतु सामग्री व लागत:

1. बाँस: एक एकड़ मे बैम्बू स्टेकिंग लगाने के लिए 560-600 बाँस की आवश्यकता पड़ती है। बाँस की मोटाई लगभग 2.5 इंच व लंबाई 6-8 फुट होनी चाहिए। एक एकड़ के बाँस की कुल कीमत 30000 से 36000 रुपए के लगभग पड़ती है।

2. लोहे के तार/Pet wire व धागा/रस्सी: बाँसों को आपस मे बांधने व सब्जी की बेलों को ऊपर चढाने के लिए लोहे के तार/Pet wire व धागा/रस्सी की आवश्यकता पड़ती है जिसका कुल खर्च लगभग 10000 से 12000 रुपए बनता है ।

3. गड्ढे की खुदाई, किराया व मजदूरी आदि : उक्त सभी कार्य का कुल खर्च लगभग 12000-15000 रुपए आता है ।

बैम्बू स्टेकिंग लगाने का तरीका : बैम्बू स्टेकिंग लगाने का तरीका सब्जी के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यत 3 प्रकार से बैम्बू स्टेकिंग लगाई जाती है:

1. वर्ग/ आयताकार ढांचा : इस प्रणाली में खेत को आयताकार या वर्गाकार भागों में विभाजित किया जाता है। बाँस को आयत या वर्ग के 4 कोनों पर सीधे कतारों में लगाया जाता हैं, जो सीधे कोणों पर चलते हैं। इसमे सब्जी की बेल का फैलाव आयत या वर्ग के 4 कोनों पर गड़े बाँसों के बीच बने तार व रस्सी के जाल पर होता है।

2. A-आकार का ढाँचा: यह मजबूत ढाँचा है जो खीरे, टमाटर, करेला और अन्य भारी पौधों के लिए उपयुक्त है। इसमे 2 बाँसों के ऊपरी हिस्से को आपस मे रस्सी से बांधा जाता है जबकि नीचे के हिस्से को एक दूसरे से दूर जमीन मे दबाया जाता है जिससे कि "A" आकार का ढांचा बनता है।

3. सामान्य ढांचा : इसमे बेड पर समान दूरी पर बाँस लगाए जाते है जिनको 2-3 समानांतर दूरी पर बांधे गए लोहे के तार या PET wire से बांधा जाता है। सब्जी की बेलो को रस्सी या धागों की मदद से लोहे के तार या PET wire की सहायता से ऊपर चढ़ाया जाता है।

<u>बैम्बू स्टेकिंग लगाते समय साँवधानिया :</u>

1. ऐसे बाँस का चयन करें जो अपेक्षित पौधे की ऊँचाई से कम से कम 25% अधिक ऊँचे हों। सीधे, मजबूत, सूखे हुए और बिना दरार या फूट वाले बाँस का चयन करें। बाँस को धीरे-धीरे मिट्टी में लगभग 6–12 इंच तक डालें, और बचाव करें कि पौधों के तनों को नुकसान न पहुंचे।

2. पौधो के तनों को बहुत कसकर या बिल्कुल ढीला न बाँधें।

3. नियमित रूप से बाँसों में दरार के लिए निरीक्षण करें। क्षतिग्रस्त बाँसों को तुरंत बदलें।

4. बाँसों को दीमक व अन्य कारणों से बचाने के लिए जमीन मे दबाए जाने वाले हिस्से तक तारकोल मे अच्छे प्रकार से डुबो कर सुखा ले।

5. बाँसों का पुनः उपयोग करने से पहले उन्हें कीटाणुरहित और सुखा लें ताकि बैक्टीरिया या फफूंदी के जोखिम कम किए जा सकें । मिट्टी साफ करें, और धूप में सुखाकर, हवादार और छायादार स्थान में स्टोर करें ताकि उनकी उम्र बढ़ सके।

<u>बैम्बू स्टेकिंग पर अनुदान :</u>

हरियाणा सरकार द्वारा बैम्बू स्टेकिंग तकनीक का प्रयोग करके सब्जियों की खेती करने पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। बागवानी विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के किसानों को प्रति एकड 31250/- रुपए की राशि व अनुसूचित जाति के किसानों को 53125/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 2.5 एकड़ तक व अनुसूचित जाति के किसान अधिकतम 01 एकड़ तक अनुदान प्राप्त कर सकते है । संबंधित किसान को अनुदान प्राप्त करने हेतु अपने ब्लॉक के बागवानी विकास अधिकारी कार्यालय या जिला के जिला बागवानी अधिकारी कार्यालय मे संपर्क करना होता है । किसान स्वयं या CSC के माध्यम से hortnet.hortharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते है।